निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 15/अपील/16

उनवान अपील

भैरूलाल आ0 नानूराम भील नि0 करणपुरा तहसील पचपहाड (अपीलान्ट)

बनाम

01. बजरंगलाल आ0 लटूरलाल चमार नि0 करणपुरा तहसील पिड़ावा
02. राजू आ0 लटूर चमार नि0 करणपुरा तहसील पचपहाड़
03. सुगनाबाई पुत्री लटूर चमार नि0 करणपुरा तहसील पचपहाड़
04. राधाबाई बेवा लटूर चमार नि0 करणपुरा तहसील पचपहाड़
05. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़ (रेस्पो0)

अपील बनाराजी नामान्तकरण आदेश नायब तहसीलदार पचपहाड़ जो नामान्तरकरण संख्या 77 ग्राम करणपुरा पर दिनांक 21.11.78 को पारित किया गया।

उपस्थितः— श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक अपीलान्ट
श्री फिरोज अहमद अभिभाषक रेस्पो0
पेरोकार सरकार

—: **निर्णय** :— दिनांकः 30.05.2018

प्रकरण न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के निर्णय दिनांक 30.07.2015 से पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ के समक्ष प्रकरण संख्या 60/अपील/03 बउनवान भैरूलाल बनाम बजरगं आदि में भैरूलाल द्वारा ग्राम करणपुर की आराजी ख0न0 233 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा व ख0न0 234 रकबा 03 बिस्वा आराजी का नामा0 स0 77 दिनांक 21.11.78 को तस्दीक किया जाने पर उक्त नामान्तरकरण आदेश को अपास्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर ग्राम करणपुर का नामान्तरकरण संख्या 77 सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना अवैध व क्षेत्राधिकार से बाहर माना जाकर दिनांक 31.03.2003 से निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील रेस्पो0 द्वारा माननीय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा को की जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील दिनांक 31.03.2003 को निरस्त कर प्रकरण निर्णय में विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु भिजवाया गया है।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलान्ट की और से अभिभाषक श्री राम माहेश्वरी व रेस्पो0 1 लगायत 4 की और से अभिभाषक श्री फिरोज अहमद उपस्थित हुए। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा दिनांक 05.03.2018 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस व्यक्त किया कि रेस्पो0 के पिता लटूर को जिस तथाकथित आवंटन दिनांक 06.05.1978 के आधार पर इन्तकाल संख्या 77 दिनांक 21.12.1978 को तस्दीक किया गया है वास्तव में उक्त आवंटन किया ही नही गया है इस कारण उक्त आधार पर खोला गया इन्तकाल क्षेत्राधिकार से परे—नल एण्ड वाईड है तथा विदाउट ज्यूरिडेक्शन है। अधीनस्थ न्यायालय अति0जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा मिसल न0 60/अपील/03 निर्णय दिनांक 31.03.2003 उचित है। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम करणपुर का उक्त नामान्तरकरण संख्या 77

जिला कलक्टर
झालावाड़

जो नायब तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा दिनांक 21.11.1978 को तस्दीक किया गया है वह अप्रार्थी लटूरलाल चमार को हुए आवंटन के आधार पर तस्दीक किया गया है। अपील बहुत देरी से प्रस्तुत की गई है,अपीलान्ट को अपील पेश करने का लोक्स स्टेन्डाई हासिल नही है विवादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार से उसका कोई सम्बन्ध नही है। उक्त आराजी पर रेस्पो0 का उनके पिता के समय से 1978 से अधिक समय से कब्जा बतोर खातेदार टीनेन्ट चला आ रहा है जो उनके खातेदारी में चली आ रही है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त उसे किसी सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज नही किया गया है। ऐसा कोई प्रावधान नही है गैर खातेदारी की अपील के आधार पर खातेदारी के अधिकारों को समाप्त किया जा सके। अपील सारहीन निरस्तनीय है।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया– प्रकरण के अवलोकन से उभरता है कि सर्वप्रथम अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड़ के समक्ष ग्राम करणपुर तहसील पिड़ावा की आराजी ख0न0 233 की 02 बीघा 16 बिस्वा व ख0न0 234 की 03 बिस्वा आराजी के आवंटन के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी से प्रोसिडिंग रजिस्टर व तहसीलदार पचपहाड़ से वस्तु स्थिति की रिपोर्ट व संबन्धित मूल इन्तकाल की जिल्द तलब करने पर यह पाया गया कि ऐसा कोई आंवटन आदेश हुआ ही नही है और उक्त अपील अपीलान्ट खारिज की गई । तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा आवन्टन पश्चात तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की अपील अधीनस्थ न्यायालय में की जाने पर बाद जांच अपने विस्तृत विवेचन के साथ पारित निर्णय में आंवटी लटूरलाल को दिनांक 06.05.1978 को कोई आवंटन होना नही माना जाकर बिना किसी आधार के व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, क्षेत्राधिकार से परे जाकर नायब तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 77 खारिज किया गया। माननीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा प्रकरण को आंशिक रूप से स्वीकार कर निर्णय जेर अपील दिनांक 31.03.2003 को निरस्त किया जाकर मुख्यतः प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि कि क्या खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन को निरस्त किया जा सकता है अथवा नही? प्रकरण का अवलोकन व बहस उभय पक्ष से यह तो साबित है कि ग्राम करणपुर का नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक 21.11.1978 जो नायब तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा तस्दीक किया गया वह बिना किसी आधार के व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, क्षेत्राधिकार से परे जाकर तस्दीक किया गया है जो आवंटन हुआ ही नही फिर क्यों कर नियमों से परे जाकर नायब तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया समझ से परे है। इस प्रकार बिना किसी आधार के नियम विरूद्ध तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 77 को यथावत रखना उचित नही है। इसी क्रम में RRD 1990 पेज 29 में खातेदारी के उपरान्त आवंटन को खारिज किया जाने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त विवेचन से हमारी राय में जो आवंटन हुआ ही नही उसके मध्य नजर बिना किसी आधार के व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, क्षेत्राधिकार से परे जाकर नामान्तरकरण संख्या 77 जो दिनांक 21.11.1978 को तस्दीक किया गया है खारिज योग्य है। अतः उक्त नामान्तरकरण संख्या 77 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ अधीनस्थ न्यायालय(भूमिधारी तहसीलदार) को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
झालावाड़